

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय

::-आदेश-::

क्रमांक एफ 20-14/2012/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 3/09/2012

1. राज्य शासन द्वारा इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20-1/2010/बी-ग्यारह दिनांक 23/10/2010 से प्रसारित की गयी "उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना" में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना के "प्रस्तावना" में निम्नानुसार जोड़ा जाए :-

प्रदेश के समग्र विकास हेतु कुछ सेक्टर्स जैसे - एग्री बिजनेस एवं फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाईल, ऑटोमोटिव एवं ऑटो कम्पोनेंट्स, टूरिज्म, फार्मस्युटिकल, बायो टेक्नोलॉजी, आई.टी./आईटीईएस, हेल्थ केयर, कौशल विकास और लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग को स्पेशल फोकस दिया जावे।

(2) उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना के "उद्देश्य" में निम्नानुसार जोड़ा जाए :-

(2.1) निवेश प्रस्तावों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु "इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर" की नियुक्ति की जावे।

(2.2) पारदर्शी प्रशासन तथा उद्योगों हेतु योजनाओं के ऑनलाइन क्रियान्वयन के लिए नेटवर्क तथा हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर की व्यवस्थाएँ की जावे।

(2.3) ट्रायफेक को समस्त औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों की होल्डिंग कम्पनी बनाया जावे।

(2.4) ट्रायफेक के सुचारु संचालन हेतु राज्य शासन से ब्लॉक ग्रांट की व्यवस्था की जावे।



- (3) उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 5.12" में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :-

निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सहायता :- अधोसंरचना के विकास में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश में स्थापित होने वाले औद्योगिक पार्क एवं हाइटेक पार्क सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता उपलब्ध करायी जावे । निजी क्षेत्रों द्वारा विकसित किए जाने वाले औद्योगिक पार्क के स्थापना/विकास व्यय का 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक सहायता राशि दी जाएगी, बशर्ते कि विकसित होने वाले पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 100 एकड़ हो एवं उसमें न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना हों। इसमें 250 व्यक्तियों को नियमित रोजगार प्राप्त हो। सहायता राशि की प्रतिपूर्ति औद्योगिक पार्क का विकास करने वाली संस्था को योजना स्वीकृति के 5 वर्ष की समय सीमा के अन्दर उल्लेखित शर्तों की पूर्ति होने पर दी जावे। इस योजना के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में स्थापित होने वाले औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाली इकाईयों को पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी की भांति उद्योग नीति में घोषित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा । निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु निवेशकों द्वारा अधिग्रहित की जा रही भूमि को कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 से छूट एवं भूमि व्यववर्तन हेतु नियम अनुसार कार्यवाही की जावे ।

- (4) उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 14" में निम्नानुसार संशोधन किया जावे :-

(4.1) प्रक्रियाओं का सरलीकरण नवीन प्रावधान-

(4.1.1) वर्तमान में स्थानीय निकायों द्वारा प्रभारित निर्यात कर को समाप्त किया जावे, इस हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संगत अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जावे ।



(4.1.2) वर्तमान में जिन स्थानीय निकायों द्वारा निर्यात कर प्रभारित किया जा रहा है उन्हें इसकी क्षतिपूर्ति नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा की जावेगी जिस हेतु उक्त विभाग को वित्त विभाग द्वारा बजट में आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जावे ।

(4.1.3) क्षतिपूर्ति की राशि वर्तमान में स्थानीय निकायों द्वारा वसूल की जा रही राशि तक सीमित होगी ।

(4.1.4) भविष्य में स्थापित होने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप घोषित करने हेतु कार्यवाही की जावे ।

(4.2) भूमि प्रबन्धन व्यवस्था --

(4.2.1) प्रदेश में औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय/निजी भूमि का चयन कर "लैंड बैंक" संचारित किया जाएगा। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना विकसित करने हेतु शासकीय भूमि के साथ-साथ निजी भूमि को सम्मिलित करने के लिए भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा आवश्यक अधिनियम लाया जावे ।

(4.2.2) भूमि आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं आवंटन व्यवस्था का प्रावधान किया जावे ।

(4.2.3) मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबन्धन नियम, 2008 को वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिगत संशोधित किया जावे ।

(5) उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 15" में निम्नानुसार नवीन प्रावधान जोड़ा जावे :-

(5.1) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों हेतु औद्योगिक रूप से जिलों का वर्गीकरण समाप्त कर, सभी जिलों में पिछड़े जिले की 'स' श्रेणी के अनुरूप सुविधा प्रदान की जावे ।



- (5.2) ऑटोमोबाइल एवं टेक्सटाइल सेक्टर के वृहद् उद्योगों के परिसर में अथवा उसके आसपास स्थापित नवीन वेंडर यूनिट्स, जिनके द्वारा अपने विक्रय का न्यूनतम 75 प्रतिशत मदर यूनिट को विक्रय किया जाता है, उन्हें मदर यूनिट की भाँति, सुविधाओं का पैकेज दिया जावे तथा मदर यूनिट द्वारा वेंडर यूनिट को भूमि "राब-लीज" करने की अनुमति प्रदान की जावे।
- (5.3) ऑटोमोबाइल एवं टेक्सटाइल सेक्टर के उद्योगों द्वारा तैयार माल राज्य के बाहर अंतरित होने पर, इस परिप्रेक्ष्य में रोके जाने वाले इनपुट टैक्स की 50 प्रतिशत राशि, उद्योगों को सहायता के रूप में दी जावे। उक्त सुविधा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता अवधि के लिए ही प्राप्त होगी।
- (5.4) उद्योग निवेश संवर्धन सहायता एवं टैक्सटाइल और ऑटो मोबाइल सेक्टर के परिप्रेक्ष्य में रोके गये इनपुट टैक्स की प्रतिपूर्ति, त्रैमासिक आधार पर, सीधे इकाई को की जावे।
- (5.5) विद्यमान अपात्र उद्योगों की सूची में उद्योग नीति, 2010 की प्रभावशील अवधि (01.11.2010 से 31.10.2015) में कोई बढ़ोतरी नहीं की जावे। वर्तमान निवेश परिदृश्य के दृष्टिगत अपात्र उद्योगों की सूची से कुछ गतिविधियों को हटाने पर विचार किया जावे।
- (5.6) केप्टिव पावर संयंत्र से उत्पादित विद्युत का स्वयं उपयोग करने पर देय ऊर्जा विकास उपकर (सेस) को समाप्त किया जावे।
- (6) उद्योग संवर्धन नीति 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 15.1" में निम्नानुसार संशोधन किया जावे :-
- सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी की भाँति ब्याज अनुदान सहायता दी जावे।



- (7) उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 15.3" में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :-

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी की भांति स्थाई पूंजी निवेश पर अनुदान सहायता दी जावे ।

- (8) उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 15.14" में निम्नानुसार संशोधन किया जाए :-

थ्रस्ट सेक्टर के लघु श्रेणी के उद्योगों के लिए समस्त जिलों में 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु. 30 लाख की सहायता दी जावे। मध्यम श्रेणी के थ्रस्ट सेक्टर अंतर्गत आने वाले उद्योगों को जिले की श्रेणी अनुसार 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम पिछड़ा 'अ' जिले में रु. 12 लाख, 'ब' जिले में रु. 18 लाख एवं 'स' जिले में रु. 30 लाख की सहायता दी जावे।

- (9) उद्योग संवर्धन नीति, 2010 एवं कार्ययोजना की "कंडिका 16.3" में पुनरीक्षित प्रावधान :-

रु. 1.00 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी वैष्टन वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को प्रदेश के समस्त जिलों में पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी की भांति उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जावे ।

- (10) रु. 500 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश के ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए कस्टोमाइज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु प्रकरणवार शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति के समक्ष विचार कर निर्णय लिया जावे ।

- (11) टेक्सटाइल उद्योगों के लिये विशेष पैकेज :-

(11.1) नवीन टेक्सटाइल इकाईयों को पात्र पूंजी निवेश का 10 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1.00 करोड़, निवेश अनुदान दिया जावे ।

(11.2) रु. 100 करोड़ से अधिक स्थाई पूंजी निवेश करने वाली नवीन इकाईयों को 07 वर्ष तक प्रवेश कर से छूट दी जावे ।



- (11.3) सेंद्रली स्पॉसर्ड टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फण्ड (TUF) स्कीम से लिंक लॉग टर्मलोन पर 2 प्रतिशत की दर से 05 वर्ष के लिए ब्याज अनुदान दिया जावे, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5.00 करोड़ होगी।
- (11.4) अपेरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जावे, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 25.00 लाख होगी।
- (12) किसी एक औद्योगिक समूह द्वारा प्रदेश में रुपये 20,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने पर सुविधाओं का विशेष पैकेज :-
- (12.1) किसी एक औद्योगिक समूह द्वारा प्रदेश में रु. 20,000 करोड़ से अधिक किन्तु रु. 50,000 करोड़ तक पूंजी निवेश (वर्ग-1) करने तथा रु. 50,000 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश (वर्ग-2) करने पर सुविधाओं का विशेष पैकेज दिया जावे परन्तु प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन हेतु अक्टूबर, 2007 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दृष्टिगत औद्योगिक समूह द्वारा प्रदेश में किए गए निवेश की गणना माह अक्टूबर 2007 से प्रारंभ होगी एवं निवेश अंतर्गत बिडिंग प्रक्रिया से प्राप्त की गई परियोजना का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा परन्तु यह भी कि निवेश अंतर्गत बिडिंग प्रक्रिया से प्राप्त की गई परियोजना को विशेष पैकेज के अंतर्गत कोई सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
- (12.2) रुपये 20,000 करोड़ के निवेश की गणना में किसी एक सेक्टर विशेष में अधिकतम निवेश रुपये 10,000 करोड़ तक मान्य किया जायेगा। रुपये 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश की गणना हेतु किसी एक सेक्टर विशेष में निवेश की राशि की सीमा अपेक्स कमेटी के निर्णय अनुसार मान्य की जायेगी।
- (12.3) वर्ग-1 एवं वर्ग-2 अंतर्गत परियोजनाओं को क्रमशः 8 वर्ष एवं 10 वर्ष की प्रवेश कर से छूट की सुविधा दी जावे।



(12.4) वर्ग-1 एवं वर्ग-2 अंतर्गत परियोजनाओं को 75 प्रतिशत रियायत पर दी जाने वाली शासकीय भूमि (नगर निगम क्षेत्र एवं उसकी सीमा से 8 कि.मी. बाहर) का अधिकतम क्षेत्रफल क्रमशः 75 एकड़ एवं 100 एकड़ की जावे।

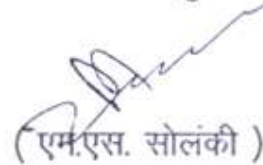
(12.5) केप्टिव पावर संयंत्र से उत्पादित विद्युत पर देय विद्युत शुल्क से छूट की अवधि वर्ग-1 एवं वर्ग-2 अंतर्गत परियोजनाओं के लिए क्रमशः 12 वर्ष एवं 14 वर्ष की जावे।

2. यह भी प्रस्तावित है कि इस नीति के अन्तर्गत व्याख्या एवं संशोधन संबंधी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम रहेगी। यही व्यवस्था अन्य विभागों की निवेश संवर्धन नीतियों के लिए भी लागू रखी जावे।

3. संशोधित प्रावधान दिनांक 28/8/2012 से वर्तमान नीति की प्रभावशीलता दिनांक 31/10/2015 तक उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों के लिए लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(एम्.एस. सोलंकी)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ०क्रमांक एफ 20-14/2012/बी-ग्यारह

भोपाल, दिनांक: 3/9/2012

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री,
2. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, समस्त विभाग
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि./म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि./म.प्र. लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग